न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/01/2023	2023/283	09.03.2023	08.04.2026

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू०अ०) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. अमर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
2. मोहर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
3. भूप सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
4. रविदत्त यादव पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाड़ी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
5. सोमा उर्फ सोना यादव पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
6. ओमा यादव पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव, पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव, जाति अहीर, ग्राम लोधाड़ी, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।
7. सुमन यादव पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभातीराम यादव पौत्री स्वर्गीय श्री रामस्वरूप यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
8. दौलतराम यादव पुत्र श्री सरदारा यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधड़ी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
9. राजसिंह यादव पुत्र श्री सरदारा यादव जाति अहीर निवासी ग्राम ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
10. रामानन्द यादव पुत्र श्री सरदारा यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधड़ी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
11. रामअवतार यादव पुत्र श्री सरदारा यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधड़ी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
12. कृष्णकुमार यादव पुत्र श्री हरद्वारी यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
13. लालसिंह यादव पुत्र श्री लेखराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
14. प्यारे लाल यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
15. सुन्दर लालू यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
16. मनीराम यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
17. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा डहरा तहसील व जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा डहरा तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
18. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान जर्ये शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदोली तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपस्थितः–

1. श्री दीपक मीना, पैरोकार सरकार – वकील प्रार्थी
2. श्री चन्द्रभान शर्मा –वकील अप्रार्थी सं. 1 ला0 7
3. श्री मुनीराम यादव –वकील अप्रार्थी सं. 12
4. श्री अजय यादव –वकील अप्रार्थी सं. 14, 15, 16

—:: निर्णय ::— दिनांक :– 08.04.2026

यह रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, अलवर द्वारा ग्राम भण्डवाडा व लोधाडी, तहसील व जिला अलवर की विभिन्न आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड में पुनः 'गैर मुमकिन नदी, नाला व तालाब' के रूप में राजकीय खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण / अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

प्रार्थी तहसीलदार अलवर की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक खसरा टीप सम्वत 2003–2006 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 13 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटयार, 276 रकबा 04 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा अज गैर मुमकिन नदी, 275 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी, 716 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार अज गैर मुमकिन नाला 15 बीधा 02 बिस्वा, 280 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 06 बिस्वा डहरी मटियार 02 बीघा 15 बिस्वा, 281 रकबा 01 बीघा किस्म बंजड कदीम 13 बिस्वा, डहरी मौजूदा मटियार, 282 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार अज गैर मुमकिन नदी, 288 रकबा 16 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा अज गैर मुमकिन नदी, 713 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार, 714 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार बंजड, 786 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 743 रकबा 01 बिस्वा किस्म बंजड कदीम अज मटियार, 787 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 741 रकबा 02 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 788 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 834 रकबा 06 बिस्वा किस्म बारानी मटियार, 835 रकबा 08 बिस्वा किस्म बारानी मटियार, 961 मिन रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 962 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 785 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला व 963 रकबा 02 बीघा गैर मुमकिन नाला वाकै ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर साबिक 256 रकबा 13 बिस्वा, 276 मिन रकबा 03 बिस्वा के नएं खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बिस्वा किस्म डहरी दोयम, साबिक खसरा नम्बर 275 मिन रकबा 04 बिस्वा, 716 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, 280 मिन रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 281 मिन रकबा 12 बिस्वा, 282 मिन रकबा 07 बिस्वा, 288 मिन रकबा 05 बिस्वा, 713 व 714 के नएं खसरा नम्बर 304 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब, साबिक खसरा नम्बर 786 मिन रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा के नए नम्बर 803 मिन रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल 03 बीघा, बंजड कदीम 15 बीघा 02 बिस्वा व गैर मुमकिन नाला 09 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 743 रकबा 01 बिस्वा व 787 मिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा के नएं खसरा नम्बर 804 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजड कदीम 11 बिस्वा व गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 06 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 741 रकबा 02 बिस्क्रा, 788 रकबा 18 बिस्वा, 834 मिन रकबा 04 बिस्वा व 835 मिन रकबा 07 बिस्वा के नएं खसरा नम्बर 805 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल 12 बीघा व गैर मुमकिन नाला 06 बीघा 13 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 961 मिन रकबा 01 बिस्वा, 962 मिन रकबा 05 बिस्वा व 785 मिन रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा के नएं खसरा नम्बर 938 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम 07 बीघा, बंजड दोयम 16 बीघा व गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 18 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 962 मिन रकबा 07 बिस्वा व 963 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा के नएं खसरा नम्बर 940 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन नाला कायम हुएं।

आराजी खसरा नम्बर 803 मिन रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल व गैर मुमकिन नाला सिवाय चक लगानी में से खसरा नम्बर 803 मिन रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व गैर मुमकिन नाला, खसरा नम्बर 938 मिन रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व गैर मुमकिन नाला सिवाय चक लगानी में से खसरा नम्बर 938 मिन रकबा 2 बीघा बारानी दोयम व गैर मुमकिन नाला, खसरा नम्बर 804 मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक लगानी बंजड भूमि में से खसरा नम्बर 804 रकबा 15 बिस्वा किस्म बाराजी दोयम अज नाला, खसरा नम्बर 805 मिन रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा बारानी दोयम व गैर मुमकिन नाला लगानी बंजड भूमि में से खसरा नम्बर 805 रकबा 05 स्वा किस्म बारानी दोयम व नाला खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक लगानी नदी व नाला में से खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम अज नाला, खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 06 बिस्वा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक बिला लगानी नदी व नाला में से खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 10 बिस्वा किस्म तालाब सिवाय चक बिला लगानी पानी में डूबे हुए में से 15 बिस्वा कुल 09 बीघा वाकै ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान जर्ये सनद पटटा नम्बर 95247 दिनांक 12.12.1995 सर्वश्री प्रभातीराम, अमर सिंह, मोहर सिंह पिसरान रामस्वरूप जाति अहीर साकिन देह खातेदार के आवंटित हुई जिस के आधार पर नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक दिनांक 13.12.1995 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।

मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान साबिक खसरा नम्बर 825 शामिल नम्बर 1206 किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1209 रकबा 1.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, साबिक खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 06 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.11 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 825 मिन रकबा 03 बिसवा किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.05 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब व 304 मिन रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा के नएं खसरा नम्बरा 456 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन तालाब, साबिक खसरा नम्बर 803 मिन शामिल नम्बर 1076 किस्म बंजड अव्वल व गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, साबिक खसरा नम्बर 803 मिन शामिल नम्बर 1076 किस्म बंजड अव्वल व गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, साबिक खसरा नम्बर 803 मिन शामिल नम्बर 1076 किस्म बंजड अव्वल व गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, साबिक खसरा नम्बर 803 मिन रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.06 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 804 मिन शामिल नम्बर 1124 किस्म गैर मुमकिन नाला व 805 मिन के नएं खसरा नम्बर 1128 रकबा 0. 48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, साबिक खसरा नम्बर 804 मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.14 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 804 मिन शामिल नम्बर 1124 किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, साबिक खसरा नम्बर 805 किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, साबिक खसरा नम्बर 938 मिन शामिल नम्बर 1188 किस्म गैर मुमकिन नदी के नएं खसरा नम्बर 1391 रकबा 01.57 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी, साबिक खसरा नम्बर 938 मिन रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी के नएं खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.08 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला व साबिक खसरा नम्बर 940 मिन शामिल नम्बर 1396 किस्म गैर मुमकिन नाला के नएं खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला वाकै ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान कायम हुए।

मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में से ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान पृथक से दर्ज रिकार्ड हुआ। मुताबिक जमाबन्दी हाल ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 01. 57 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी अमर सिंह हिस्सा 8/75 हिस्सा, दौलत हिस्सा 8/75, प्रभाती हिस्सा 8/75, मोहर सिंह हिस्सा 8/75, राजसिंह हिस्सा 8/75, रामानन्द हिस्सा 8/75, रामावतार हिस्सा 8/75, सिवाय चक हिस्सा 1/25 कस्टोडियन खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला व 1116 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला अमर सिंह हिस्सा 1/3, ओमादेवी हिस्सा 1/18, जितेन्द्र हिस्सा 1/18, भूप सिंह हिस्सा 1/18, मोहर सिंह हिस्सा 1/3, रवि दत्त हिस्सा 1/18, सुमन 1/18 हिस्सा, खसरा नम्बर 1678/1117 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह हिस्सा 1/3, प्रभातीराम हिस्सा 1/3 व मोहर सिंह हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 1679/1117 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सिवाय चक कस्टोडियन, खसरा नम्बर 1396 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व 1399 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह हिस्सा 4/53, कृष्ण कुमार हिस्सा 9/53, प्रभातीराम हिस्सा 4/53 व मोहर सिंह हिस्सा 4/53, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला व 1135 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय अमर सिंह हिस्सा 1/9, प्रभातीराम हिस्सा 1/9, मोहर सिंह हिस्सा 1/3 व सिवायचक बिला लगानी हिस्सा 2/3 कस्टोडियन, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन तालाब अमर सिंह हिस्सा 19/150, प्रभातीराम हिस्सा 19/150, लाल सिंह हिस्सा 19/50 व मोहर सिंह हिस्सा 19/150, खसरा नम्बर 1639/1209 रकबा 0. 8124 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह हिस्सा 1/3, कृष्ण प्रभातीराम हिस्सा 1/3 व मोहर सिंह हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 किस्म बारानी दोयम सिवाय चक लगानी सरकार कस्टोडियन व खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह हिस्सा 211/3167, प्यारे लाल हिस्सा 845/3167, सुन्दर लाल हिस्सा 844/3167, प्रभातीराम हिस्सा 211/3167, मनीराम हिस्सा 845/3167, सुन्दर लाल हिस्सा 844/3167 व मोहर सिंह हिस्सा 211/3167 दर्ज रिकार्ड हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

भू अभिलेख नियमावली, 1957 के नियम 164 के अन्तर्गत उक्त जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071—74 वर्ष 2018 ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज खसरा नम्बर 1209 में अंकित खातेदारों एवं सिवाय चक लगानी के जिम्मनों से पृथक किया जाकर खसरा नम्बर 1209 का विभाजन किया गया। जिसके तहत 1639/1209 रकबा 0.8124 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली, प्रभातीराम पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 बर्डोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर डहरा तथा मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1209 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 बारानी दोयम कायम हुआ, जो मुताबिक जमाबन्दी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान के खाता संख्या 170 पर सिवाय चक लगानी सरकार हिस्सा पूर्ण कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है।

भू अभिलेख नियमावली, 1957 के नियम 164 के अन्तर्गत उक्त जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2071—74 वर्ष 2018 ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज खसरा नम्बर 1117 में अंकित खातेदारों एवं सिवाय चक लगानी के जिम्मनों से पृथक किया जाकर खसरा नम्बर 1117 का विभाजन किया गया। जिसके तहत मुताबिक जमाबन्दी वाकै ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर खसरा नम्बर 1678/1117 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली, प्रभातीराम पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 बर्डोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर डहरा तथा मोहर सिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चांदोली दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1117 के विभाजन के बाद खसरा नम्बर 1679/1117 रकबा 0.34 बारानी दोयम कायम हुआ, जो मुताबिक जमाबन्दी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान के खाता संख्या 170 पर सिवाय चक लगानी सरकार हिस्सा पूर्ण कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए उक्त लोगो के नाम के इन्द्राजात को हटवानें की बाबत अनेंको बार उनसे निवेदन किया जा चुका है, लेकिन उक्त लोग काफी खूंखार, मुंहजोर व लडाकू किस्म के व्यक्ति है, जिनके द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए उनके नाम के अंकन को दुरूस्त कराने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया गया तथा एलानिया तौर पर यह धमकी दी गई है कि वे राजस्व रिकार्ड से अपने नाम के अंकन को नहीं हटवाएंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि की बाबत किसी भी दीगर व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित/अन्तरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी नाला की भूमि की बाबत किसी दीगर व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। लेकिन बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौराने बन्दोबस्त मनमाने तरीके से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जिससे उपरोक्त वर्णित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु यह रैफरेन्स श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आराजीयात साबिक मुताबिक खसरा टीप सम्वत 2003–2006 ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 13 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटयार, 276 रकबा 04 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा अज गैर मुमकिन नदी, 275 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी, 716 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार अज गैर मुमकिन नाला 15 बीघा 02 बिस्वा, 280 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 06 बिस्वा डहरी मटियार 02 बीघा 15 बिस्वा, 281 रकबा 01 बीघा किस्म बंजड कदीम 13 बिस्वा, डहरी मौजूदा मटियार, 282 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार अज गैर मुमकिन नदी, 288 रकबा 16 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा अज गैर मुमकिन नदी, 713 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार, 714 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा किस्म डहरी मौजूदा मटियार बंजड, 786 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 743 रकबा 01 बिस्वा किस्म बंजड कदीम अज मटियार, 787 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 741 रकबा 02 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 788 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 834 रकबा 06 बिस्वा किस्म बारानी मटियार, 835 रकबा 08 बिस्वा किस्म बारानी मटियार, 961 मिन रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 962 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजड कदीम, 785 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला व 963 रकबा 02 बीघा गैर मुमकिन नाला वाकै ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान, जिनके मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 नएं खसरा नम्बर 268 रकबा 16 बिस्वा किस्म डहरी दोयम, 304 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब, 803 मिन रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल 03 बीघा, बंजड कदीम 15 बीघा 02 बिस्वा व गैर मुमकिन नाला 09 बीघा, 804 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजड कदीम 11 बिस्वा व गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 06 बिस्वा, 805 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल 12 बीघा व गैर मुमकिन नाला 06 बीघा 13 बिस्वा, 938 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम 07 बीघा, बंजड दोयम 16 बीघा व गैर मुमकिन नाला 11 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 940 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन नाला कायम हुएं तथा मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 2051 हाल खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी, 1115 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, 1116 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, 1678/1117 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, 1679/1117 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सिवाय चक कस्टोडियन, 1396 रकबा 0. 23 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, 1399 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, 1128 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला, 1135 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, 456 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन तालाब, 1639/1209 रकबा 0.8124 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1638/1209 रकबा 0.5876 किस्म बारानी दोयम सिवाय चक लगानी सरकार कस्टोडियन, 1142 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, कायम हुए, वाकै ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अप्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाएं जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 द्वारा अपने समर्थन में तथ्य प्रस्तुत किए कि मौके पर उक्त आराजी जो अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 के कब्जे काश्त खातेदारी में है, वह नाला, नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित नहीं है। हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि नदी, नाला के बहाव क्षेत्र में नही है। प्रार्थी द्वारा जो दर्ज रिकॉर्ड बताया गया है, वह मौका स्थिति के विपरीत है। दिनांक 12.12.1985 को प्रभाती राम, अमर सिंह, मोहर सिंह पुत्रान रामस्वरूप अहीर को सनद पट्टा 95247 के तहत कृषि भूमि नदी, नाला से दूर सही तरीके से विधि अनुसार आवंटित हुई थी। जो नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 13/12/1985 के अनुसार सही रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। राजस्व कर्मचारियो व बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा मनमाने तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि को गलत तरीके से गैर मुमकिन नाला आदि में दर्ज किया गया है जबकि मौके पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि नदी, नाले या तालाब में स्थित नही है। राजस्व अधिकारियो व बंदोबस्त कर्मचारियो द्वारा संवत 2051 ग्राम भण्डवाडा का रिकॉर्ड गलत दर्ज किया गया और उसी को ग्राम लोधाडी तहसील अलवर जिला अलवर में पृथक से दर्ज रिकॉर्ड किया गया है जो कि मौका स्थिति से भिन्न रिकॉर्ड है।

प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की खातेदारी की भूमि को मौका स्थिति से भिन्न राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी, सिवायचक कस्टोडियन, गैर मुमकिन नाला वर्तमान में गलत अंकित किया गया है जबकि वास्तविकता में वर्तमान में हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि सिवायचक कस्टोडियन गैर मुमकिन नदी, गैर मुमकिन नाला आदि में दर्ज नहीं है बल्कि वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार खातेदारी में दर्ज है। हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज है जबकि राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड को तोड–मरोड कर दर्ज किया गया है और खातेदारो को दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर नुकसान पहुंचाने की गरज से रैफरेन्स प्रस्तुत की गई है। उक्त कृषि भूमि पर अमर सिंह, प्रभाती राम, मोहर सिंह ने सही प्रकार से अपनी खातेदारी की भूमि पर सम्बन्धित बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है तथा बैंक द्वारा भी वास्तविकता में मौका व रिकॉर्ड देखा जाकर ही ऋण स्वीकृत किया गया था।

आराजी खसरा नंबर 1209 के विभाजन के बाद खसरा नंबर 1638/1209 रकबा 0.5876 ऐयर बारानी दोयम कायम हुआ है लेकिन राजस्व कर्मचारियो व बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त खसरा नंबर को गलत तरीके से रिकॉर्ड व मौके के विपरीत जमाबंदी में खाता संख्या 170 पर सिवाय चक लगानी सरकारी हिस्सा पूर्ण कस्टोडियन दर्ज किया गया है जबकि उक्त आराजी मौके पर व मौके के अनुसार बनाई गई जमाबंदी संवत 2067 खाता संख्या 162 खसरा संख्या 1209 रकबा 1.40 हैक्टेयर बारानी द्वितीय दर्ज रिकॉर्ड है व मौके पर बनाई गई खसरा गिरदावरी संवत 2079 खाता संख्या 209 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1639/1209 रकबा 0.8124 हैक्टेयर बारानी द्वितीय दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व विभाग व बंदोबस्त विभाग द्वारा संवत 2071–2074 वर्ष 2018 में आराजी खसरा नंबर 1117 को सिवायचक लगानी गलत अंकित किया गया जो वर्तमान में बारानी दोयम सही दर्ज है तथा हम अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 तथा प्रभाती राम ने अपने जीवनकाल में संबंधित बैंक से अपने हिस्से के अनुसार ऋण लिया गया था।

प्रार्थी द्वारा उक्त कालबाधित रैफरेन्स करीब 28 वर्ष के असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा रैफरेन्स प्रस्तुत करने की नीयत से गलत तथ्यो का समावेश कर रैफरेन्स प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने तथ्यो के समर्थन में रिकॉर्ड से इन्द्राजात हटवाने बाबत अनेको बार निवेदन करने का कथन किया है। जिसके सम्बन्ध में कोई भी नोटिस या दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं० 1 ला० 7

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

के विरुद्ध खूंखार, मुँहजोर, लडाकू किस्म के व्यक्ति होने व धमकी देने का कथन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, लिखित नोटिस या अन्य कोई दस्तावेज रैफरेन्स के साथ प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं० 5 ला० 7 अपनी ससुराल में निवास करती है जिनके द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी को धमकी देने या उनके साथ झगडा–फिसाद करने का कथन प्रमाणित नही होता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 व मृतक प्रभाती राम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के लागू होने के पूर्व से ही संबंधित कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। जो कृषि भूमि कभी नदी, नाले या तालाब आदि में दर्ज नही थी ना ही मौके पर अप्रार्थी सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि नदी, नाले, तालाब आदि में मौजूद है।

हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 का बुर्जुगान के फुट पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के लागू होने के पूर्व से ही संबंधित कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। हम अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की कृषि भूमि का नदी, नाला, तालाब आदि के बहाव क्षेत्र में नही आती है। राजस्व रिकॉर्ड गलत व मनमाना अंकित किया हुआ है। हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के पूर्व से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है और उसी अनुसार हम अप्रार्थीगण 1 व 2 व प्रभाती राम को खातेदार घोषित किया गया व कृषि भूमि का आवंटन सही प्रकार से नियमानुसार किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स में काफी आराजी को गलत प्रकार से दर्ज किया गया है, जिसमें किस आराजी खसरा नंबर मे से कौनसी दिशा का खसरा नंबर आवंटित किया गया व किस दिशा की भूमि बारानी दर्ज की गई व जमाबंदी तथा खसरा गिरदावरी में विरोधाभाष क्यो उत्पन्न हुआ आदि विरोधाभाष होने के आधार पर प्रार्थी को रैफरेन्स प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा आराजी के नियमन आवंटन आदि को चुनौती नही दी गई तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा मृतक प्रभाती राम अहीर के सभी वारिसान को रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी रैफरेन्स में यह अंकित नहीं किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद किस आदेश से कृषि भूमि को नदी, नाला आदि दर्ज किया गया व यह भी दर्ज नही किया गया कि मौके पर जाकर कृषि का भौतिक सत्यापन किया गया है। चूंकि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आवंटन होने के पूर्व से ही किसी प्रकार से नदी, नाले के बहाव क्षेत्र में नहीं है और ना ही नदी, नाले आदि के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो रही है। चूंकि खसरा नंबर 1115 व 1116 में अप्रार्थी सं. 3 के मकान अर्सेदराज से बने हुए है। अर्थात वहां नाला क्षेत्र नहीं है। प्रार्थी द्वारा 28 वर्ष के असामान्य विलम्ब से कालबाधित रैफरेन्स प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जो कि आनन्दी लाल बनाम राजस्थान राज्य 1996(1) आरएलडब्लू 369, सरकार बनाम भगवान 2021(1) आरआरटी 348 द्वारा प्रतिपादित विधि के स्पष्ट उल्लंघन में रैफरेन्स प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिज है। अंत में अप्रार्थीगण सं० 1 ला० 7 की ओर से निवदेन किया कि रैफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 14 व 15 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 14 व 15 के विरूद्ध रैफरेन्स गलत प्रकार से पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 14 व 15 जिस भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है, रिकॉर्ड के अनुसार वह भूमि कस्टोडियन सिवायचक लगानी भूमि दर्ज है ना कि नदी, नाला बहाव क्षेत्र की। अप्रार्थी संख्या 14 व 15 का नामान्तरण संख्या 71 कोई वास्ता नही है। हाल आराजी खसरा नंबर 1142 के साबिक खसरा नंबर 805 किस्म गैर मुमकिन नाला रैफरेन्स में गलत प्रकार से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दर्ज किया गया है। वास्तविक रिकॉर्ड और मौके पर अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की भूमि गैर मुमकिन नाला की श्रेणी में नही आती है। कार्यालय तहसीलदार भूमि अधिकारी अलवर व जिला अलवर द्वारा श्रीमान् के यहाँ इसी रैफरेन्स में भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 24.01.2023 में अप्रार्थी संख्या 14 व 15 का हिस्सा 1142 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी दोयम है जिसमें अप्रार्थी संख्या 14 व 15 सही प्रकार से दर्ज है। जिसमें प्यारे लाल का हिस्सा 845/3167 व सुन्दर लाल का हिस्सा 844/3167 सह देह खातेदार मानते हुये पेश की गई है। इसमें भी अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की आराजी की भूमि को नदी नाले की भूमि नही माना गया है तथा साबिक रिकॉर्ड में भी अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की भूमि हाल खसरा नंबर 1142 को नदी नाले की भूमि नही माना गया है तथा मौके पर भी कोई नदी नाला अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की भूमि में नही है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 14 व 15 के रिहायश हेतु मकानात बने हुये है। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की भूमि रैफरेन्स के तहत नही आती है इसलिये अप्रार्थी संख्या 14 व 15 हस्तगत प्रकरण डिलीट किये जाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी (तहसीलदार अलवर) की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 एवं खसरा टीप संवत 2003–2006 के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां (साबिक खसरा नं. 276, 275, 716, 280, 288, 786, 787, 804, 805, 963 आदि) मूल रूप से 'गैर मुमकिन नदी', 'गैर मुमकिन नाला', और 'गैर मुमकिन तालाब' की श्रेणी में दर्ज थीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि नदी, नाले, तालाब, जोहड़ या किसी भी प्रकार के जल बहाव या भराव क्षेत्र की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग और पारिस्थितिकी का हिस्सा है। संवत 2051 के बंदोबस्त के दौरान या सनद पट्टा नंबर 95247 दिनांक 12.12.1995 के माध्यम से उक्त नदी/नाले की भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन एवं तदुपरांत दर्ज नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 13.12.1995 विधि विरुद्ध और आरंभ से ही शून्य है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह रैफरेन्स 28 वर्ष के असामान्य विलंब से पेश किया गया है और वे इस भूमि पर काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या 14 व 15 ने आवासीय मकान होने का भी तर्क दिया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2011) तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार (2004) के प्रकरणों में स्पष्ट रूप से यह विधि प्रतिपादित की गई है कि जल स्रोतों, नदी, नाले व तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण या अवैध आवंटन को किसी भी समयावधि के बीत जाने के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता। चूंकि नदी/नाले की भूमि पर खातेदारी अधिकार देना एक वैधानिक निषेध का उल्लंघन है, अतः ऐसे कृत्य आरंभ से ही शून्य होते हैं। शून्य आदेशों या प्रविष्टियों को चुनौती देने के लिए मियाद का सिद्धांत आड़े नहीं आता है। यदि बंदोबस्त विभाग या राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश या मिलीभगत से जल–बहाव क्षेत्र को कृषि भूमि या बारानी दोयम के रूप में दर्ज कर दिया गया है, तो इसे यथाशीघ्र दुरुस्त कर राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण इस अवैध प्रविष्टि को वैधता प्रदान नहीं कर सकते। अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः उपर्युक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ.) अलवर द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भण्डवाडा एवं ग्राम लोधाडी, तहसील व जिला अलवर की रैफरेंस प्रा0पत्र में वर्णित संपूर्ण विवादित आराजीयात को उनके मूल स्वरूप (संवत 2003–2006 व 2020 के रिकॉर्ड अनुसार) 'गैर मुमकिन नदी, गैर मुमकिन नाला, एवं गैर मुमकिन तालाब' सिवायचक के रूप में राज्य सरकार के नाम पुनः दर्ज करने के अभिमत/अभिशंषा सहित यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर (राजस्थान) को अंतिम आदेश एवं पुष्टिकरण हेतु सादर प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)